

## महत्वपूर्ण निर्णय

I. अरविंद गुप्ता बनाम भारतीय संघ	<ul style="list-style-type: none"> <li>निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिये सीएजी की शक्तियां</li> <li>निर्णय के निष्कर्ष</li> </ul>
II. रघुनाथ केलकार बनाम भारतीय संघ और अन्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेखापरीक्षा के समय, कार्यक्षेत्र और सीमा के संबंध में सीएजी की शक्तियां</li> <li>निर्णय के निष्कर्ष</li> </ul>
III. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाम भारत के सीएजी	<ul style="list-style-type: none"> <li>निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिये सीएजी की शक्तियां</li> </ul>
IV. अरूण कुमार अग्रवाल बनाम भारतीय संघ	<ul style="list-style-type: none"> <li>सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को छूट देने या कार्यवाही करने के लिये आधार के रूप में,</li> <li>निर्णय के निष्कर्ष</li> </ul>
V. श्री एस. सब्रहमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्यय की जांच के संबंध में सीएजी के कर्तव्य</li> <li>निर्णय के निष्कर्ष</li> </ul>
<a href="#">VI. दूरसंचार निर्णय-दिल्ली उच्च न्यायालय PDF (362 KB)</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दूरसंचार कंपनियों के राजस्व की लेखापरीक्षा के लिये सीएजी की शक्ति</li> </ul>
<a href="#">VII. दूरसंचार निर्णय-भारत का सर्वोच्च न्यायालय PDF (513 KB)</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दूरसंचार कंपनियों के राजस्व की लेखापरीक्षा के लिये सीएजी की शक्ति</li> </ul>

I. अरविंद गुप्ता बनाम भारतीय संघ(2013) सर्वोच्च न्यायालय मामला 293(माननीय न्यायाधीश आर.एम. लोधान एवं अनिल आर. डवे, जेजे के समक्ष

**निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिये सीएजी की शक्तियां**

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिये गये इस मामले में, प्रार्थी ने प्रस्तुत किया कि भारत के सीएजी को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन देने की शक्ति नहीं है और सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बने लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 में प्रावधानों जिसमें सीएजी को निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्ति दी गई है संविधान का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता में जांच करने के लिये सीएजी का कार्य जिससे सरकार ने अपने संसाधनों का प्रयोग किया हो, 1971 अधिनियम में अंतर्निहित है। विनियमों के अंतर्गत तैयार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तदनुसार देखा जाना चाहिये। न्यायालय ने विनियमों में कोई भी असंवैधानिकता नहीं देखी।

## निर्णय के निष्कर्ष

2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 393, अक्टूबर 1, 2012 को निर्णय लिया गया।

1. हमने श्री संतोषपॉल, प्रार्थी के विद्वान वकील को सुना। प्रार्थी के लिये विद्वान वकील ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पास निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने की शक्ति नहीं है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (संक्षिप्त के लिये '1971 अधिनियम') के अंतर्गत बने लेखापरीक्षक एवं लेखा, 2007 पर विनियमों (संक्षिप्त के लिये 'विनियमों') जो सीएजी को निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्ति देता है संविधान का उल्लंघन है।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि सीएजी संघ और राज्यों और किसी भी प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्य और शक्तियों का प्रयोग करेगा चाहिये जैसा संसद द्वारा बनाये गये किसी भी कानून के अंतर्गत या द्वारा निर्धारित हो। संविधान के अनुच्छेद 149 के पालन में, 1971 अधिनियम अधिनियमित किया गया। 1971 अधिनियम में अन्य प्रावधानों के भीतर, धारा 16 में प्रावधान है कि: "16 संघ या राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा- सभी प्राप्तियां जो भारत की समेकित निधि में देय हैं और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधान सभा हो की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करना और स्वयं को संतुष्ट करना कि इनके लिये बनाये गये नियम और प्रक्रियाएँ राजस्व के मूल्यांकन, एकत्रण और उचित आवंटन पर प्रभावी जांच निश्चित करने के लिये बनाये गये हैं और पालन किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिये लेखाओं की ऐसी जांच करना जो वो उसके लिये उचित समझे और भविष्य में रिपोर्ट करना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा।"
3. मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता में जांच करने के लिये सीएजी का कार्य जिससे सरकार ने अपने संसाधनों का प्रयोग किया हो, 1971 अधिनियम में अंतर्निहित है। विनियमों के अंतर्गत तैयार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तदनुसार देखा जाना चाहिये। हमने विनियमों में कोई भी असंवैधानिकता नहीं देखी। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ के लेखाओं से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा रिपोर्ट जो सीएजी द्वारा

प्रस्तुत की जाती है, इस प्रकार, संसद या राज्य के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो द्वारा संवीक्षा के अधीन हैं।

4. रिट याचिका पूर्ण रूप से गलत मानी जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

Go to Top

**II रघु नाथ केलकर बनाम भारत एवं अन्यबम्बई उच्च न्यायालय में 2008 की जनहित याचिका का संख्या 40 निर्णित: 24.03.2009 (माननीय न्यायाधीश/बैंच: स्वातंत्र कुमार: मुख्य न्यायाधीश एवं डी.वाई चन्द्ररचूड, न्यायाधीश)**

**लेखापरीक्षा के समय, कार्यक्षेत्र एवं सीमा के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां**

बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत इस मामले में एक व्यापक लेखापरीक्षा करने में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विफलता के बारे में एक आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा, 23 के कार्यक्षेत्र पर विचार किया। न्यायालय ने देखा कि लेखापरीक्षा का समय, कार्यक्षेत्र एवं सीमा वे सभी मामले हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आते हैं तथा यह ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायालय को तय करना चाहिए।

### **निर्णय का उद्धरण**

9. जहां तक याचिका के याचना खण्ड, (ख) का सम्बन्ध है, वहाँ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तरफ से एक शपथपत्र फाइल किया गया जिसमें यह कहा गया है कि बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्ति एवं संवितरण को विधिवत रूप से प्राप्ति एवं व्यय बजट में शामिल किया गया है जो संसदीय नियंत्रण का विषय है। वित्त मंत्रालय का लेखा एवं भारत सरकार के विनियोजन लेखा की 'नियमित अंतराल' पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं सीमा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करके अपने निष्पक्ष संसद को सूचित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पीष्टर किया है कि बाजार स्थिरीकरण योजना द्वारा नकदी के बंध्यीकरण से संग्रहीत निधि भारत की समेकित निधि का हिस्सा बनती है, अतः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई मानी जाएगी।
10. हालांकि, याचिकाकर्ता सूचना का अधिकार, अधिनियम के तहत एक प्रश्न- से प्राप्त प्रतिक्रिया के ऊपर विश्वास करता है जिसमें 19 जून 2008 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

द्वारा यह बताया गया है कि 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार की उधारियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा नहीं की गई थी न ही उसके तहत उधार ली गई निधि के अमल की कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा हुई थी। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते के संबंध में कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई है क्योंकि सूचना के लिए इस प्रश्न के उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक के लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में नहीं आते कि 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत या तो उधारियों अथवा निधियों के अमल के संबंध में कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा नहीं की गई थी हमारे विचार में यह उससे अलग नहीं है जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तरफ से फाइल किए गए शपथपत्र में कहा गया है। शपथपत्र प्रकट करता है कि अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं सीमा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है तथा वित्त मंत्रालय के लेखाओं के साथ-साथ भारत सरकार के विनियोजन लेखा की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियमित अंतराल पर की जाती है। लेखापरीक्षा का समय, कार्यक्षेत्र तथा सीमा वे सभी मामले हैं, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आते हैं तथा निश्चित रूप से यह ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायलय को नियत करना चाहिए। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा न तो संवैधानिक ओर न ही वैधानिक कर्तव्यों की अवेहलना की गई है एवं निस्संदेह यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षा को विचार करना है कि क्याव एवं किस सीमा तक एक विशिष्ट लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

Go to Top

**III नेशनल डेयरी डेवलेपमेन्ट बोर्ड बनाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक दिल्ली उच्च न्यायालय में 1998 की डब्लू. पी. (सिविल) 4834 निर्णित: 27.01.2010 (माननीय न्यायधीश संजीव खन्ना के समक्ष)**

**लेखापरीक्षा करने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां**

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित इस मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 19 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ता ने एनडीडीबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए अधिनियम 1971 की धारा 14(2) के अन्तर्गत शक्तियों के आह्वान एवं उपयोग करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्राधिकार को चुनौती दी थी, जो इसके अपने अधिनियम अर्थात् एनडीडीबी अधिनियम, 1987 द्वारा अधिशासित है तथा जिसमें किसी अन्य कानून पर एनडीडीबी अधिनियम के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान है। न्यायालय ने निम्नलिखित पूर्वसर्ग निर्धारित किए:

1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम सामान्यन अधिनियम से अलग एक विशेष अधिनियम है।
2. धारा 14(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति को निकाय अथवा प्राधिकरण पर लागू किसी कानून के तहत कम, नियमबद्ध अथवा प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।
3. धारा 14(2) एक स्वातंत्र धारा है जो उपरोक्त धारा में दर्शाई गई शर्तों के एक बार पूरा हो जाने पर लागू होगी तथा यह तथ्य( कि निकाय अथवा प्राधिकरण धारा 14(1) के तहत लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हो सकता अप्रासंगिक है।
4. धारा 15 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अनुदान/ऋण संस्वीकृत करते समय उचित उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था, मंजूरीदाता प्राधिकारी के लेखाओं/अभिलेखों की संवीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है।
5. धारा 15 एवं धारा 14(2) स्वतंत्र धाराएं हैं एवं तभी संचालित होती हैं जब इनमें दर्शाई गई पूर्व शर्तें पूरी हों। धारा 15 को धारा 14(2) के उल्लंघन के लिए अथवा विलोमतः नहीं पढ़ा जा सकता।
6. धारा 19 के प्रावधान स्पष्टीकारक प्रवृत्ति के हैं। धारा 19(2) धारा 14(2) के प्रावधानों एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्या प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती। धारा 19(2) संसद द्वारा बनाए गए कानून, जिसके द्वारा निगमों को स्थापित किया गया है, के तहत उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को दी गई शक्ति एवं अधिकार की रक्षा करती है। इसका अर्थ है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 14(1), 14(2) अथवा 15 के तहत किसी निगम के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा कर सकता है, जब संबंधित कानून के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती है।

Go to Top

**IV. अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत सरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2012 के डब्ल्यू. पी. (सिविल) 469 निर्णय: 09.05.2013 (माननीय न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन तथा न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष)**

**राहत प्रदान करने अथवा कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक आधार के रूप में**

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करने अथवा कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियंत्रक

महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमेशा संसद द्वारा संवीक्षा का विषय होती है एवं यह संसद को निर्णय करना है कि क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात इस रिपोर्ट पर टिप्पणीमहाल करनी है।

### **निर्णय का उद्धरण**

हमने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, पीएसी की भूमिका तथा सदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का संदर्भ लिया, केवल यह दर्शाने के लिए कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमेशा संसद द्वारा संवीक्षा का विषय है तथा सरकार हमेशा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है।

इस मामले में विचार के लिए मूल प्रश्न है कि, क्या यह न्यायालय केवल नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास करके राहत प्रदान कर सकता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमेशा संसदीय बहस का विषय है तथा यह संभव है कि पीएसी नियंत्रक-महालेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर मंत्रालय की आपत्ति को स्वीकार करे अथवा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अस्वीकार करे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, निर्विवाद रूप के एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है, तथापि यह संसद को निर्णय करना है कि क्या रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात अर्थात् पीएसी को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पण करनी है।

हालांकि, हम कह सकते हैं कि चूंकि रिपोर्ट एक संवैधानिक अधिकारी द्वारा निर्मित हैं, यह आदरणीय है तथा इस प्रकार एक किनारे नहीं की जा सकती, परन्तु उन टिप्पणियों, जो सम्बन्धित मंत्रालयों ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर प्रस्तुत की हैं की जांच करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। मंत्रालय हमेशा बता सकता है, यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई गलती है अथवा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने विभिन्न मुद्दों पर अनुचित रूप से सराहना की है।

[Go to Top](#)

**V. श्री एस सुब्रह्मण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार तथा अन्यभारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2013 के सिविल अपील 5130 निर्णीत: 25.07.2013 (माननीय न्यायाधीश पी. सदाशिवम तथा न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष)**

### **व्यय की जाँच के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य**

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत इस मामले में, याचिकाकर्ता ने याचना की कि व्यायों का परिनियोजन करने से पूर्व ही उनकी जाँच करना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य

है। विभिन्न मुद्दों पर विचार करते समय न्यायालय ने देखा कि वैधानिक नियंत्रण के अतिरिक्त, संविधान के निर्माताओं ने विधामंडल से अलग एक एजेन्सी के माध्यम से सरकारी लेखाओं तथा व्यय पर एक जांच करना उचित समझा। अनुच्छेद 148 ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में एक संवैधानिक पदाधिकारी सृजित किया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय का औचित्य, वैधता तथा मान्यता की जांच करता है तथा सरकारी लेखाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है।

### **निर्णय का उद्धरण**

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया एक संवैधानिक पदाधिकारी है। उसका मुख्य कार्य सरकार, सरकारी निकायों तथा राज्य-चालित निगमों की आय तथा व्यय की लेखापरीक्षा करना है। उसके कर्तव्यों की सीमा को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार की कार्यवाही को संविधान, भूमि के कानूनों, विधानमंडल तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय के औचित्य-, वैधता तथा मान्यता की जांच करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद ही इन पर किए गए व्यय तथा सरकारी लेखाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। परिणामस्वरूप, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय किए जाने के पश्चात ही शुरू होता है।